

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(13)न्याय/2018

जयपुर दिनांक 16.7.2026

::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, जिला न्यायाधीश, जालोर के स्थान पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायाधीश, जालोर की स्थानीय सीमा/क्षेत्राधिकारता के अनुसार निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,


(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/03/2004/.1287

Date: 17/07/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
(Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Jalore
3. The Chief Judicial Magistrate, Jalore.
4. The Additional District & Sessions Judge, Jalore
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt-I & II/ Statistics / Budget/
Building / Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(13)न्याय/2018

जयपुर दिनांक 16.7.2026

::अधिसूचना::

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर के स्थान पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर को जिला न्यायाधीश, जालोर की स्थानीय/क्षेत्रीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के संबंध में अधिकारिता वाला विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर के पीठासीन अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश भी नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,


16/07/2026
(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/03/2004/1288

Date: 17/07/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
(Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Jalore
3. The Chief Judicial Magistrate, Jalore.
4. The Additional District & Sessions Judge, Jalore
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt-I & II/ Statistics / Budget/ Building / Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur.


17/7/26
REGISTRAR (RULES)